जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 24.03.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 50/25 धारा 103(1) / 238(क) / 61(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को हत्या की घटना में प्रयुक्त गाडी सहित किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.03.2025 को वादी अंकित कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि दिनांक 08.03.2025 को वह अपनी पत्नी किरन को अपनी ससुराल मौ0 रम्पुरा नजीबाबाद से लेकर अपने घर नगीना जा रहा था कि रास्ते में रजपुरा पैट्रोल पम्प के पास तेल डलवाने के लिए रुका था। इसी दौरान वादी की पत्नी किरन सडक किनारे खडी हुई थी कि समय करीब 09.45 बजे एक अज्ञात ECO गाडी के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वादी की पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गयी, जिसे वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समीपुर नजीबाबाद लेकर गया, जहां डाक्टरो ने उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 50/25 धारा 281 / 106(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक / भौतिक साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियोग में अभियोग के वादी / अभियुक्त 1.अंकित कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी मौ0 विश्नोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर व 2.सचिन कुमार पुत्र रमेश निवासी ग्राम गढी सलेमपुर थाना काँठ जनपद मुरादाबाद हाल निवासी मौहल्ला जोशियान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 286 / 106(1) बीएनएस का लोप कर धारा 103(1) / 238(क) / 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 24.03.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्तगण 1.अंकित कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी मौ0 विश्नोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर 2.सचिन कुमार पुत्र रमेश निवासी ग्राम गढी सलेमपुर थाना काँठ जनपद मुरादाबाद हाल निवासी मौहल्ला जोशियान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त इको गाडी नं0 UP21BS2334 सहित गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त अंकित से पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि उसकी शादी को 05 वर्ष हो गये थे तथा उसकी पत्नी के कोई बच्चा नहीं हो रहा था। वह अपनी साली को मन ही मन चाहता था तथा उसने शादी के लिए अपनी साली से कहा तो उसकी साली ने यह कह कर टाल दिया कि अभी उसकी बहन आपके साथ है। इसी कारण अंकित ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनायी तथा अपने दोस्त सचिन को घटना को अंजाम देने के लिये राजी कर लिया कि किरन का एक्सीडेन्ट कर मार देते है तथा किसी को सही बात का पता भी नही चलेगा।

योजनानुसार दिनांक 08.03.2025 को पहले से ही निश्चित स्थान (पेट्रोल पंप) से करीब 50 कदम पहले अंकित ने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के बहाने मोटरसाईकिल से अपनी पत्नी किरन को उतार दिया तथा पैदल चलने को कहा। इसी दौरान सचिन ने पीछे से आकर अपनी ईको गाडी से किरन को टक्कर मार दी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.अंकित कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी मौ0 विश्नोई सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

2.सचिन कुमार पुत्र रमेश निवासी ग्राम गढी सलेमपुर थाना काँठ जनपद मुरादाबाद हाल निवासी मौहल्ला जोशियान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त इको गाडी रजि0 नं0 UP21 BS 2334

अभियुक्त सचिन का पूर्व आपराधिक इतिहास –

मु0 अ0 सं0 302/24 धारा 87 बीएनएस थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री ललित कुमार कार्यवाहक थानाध्यक्ष थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2.उ0 नि0 श्री दीपक कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर
3.उ0 नि0 श्री हिमांशु कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर
4.हे0 का0 642 अजय कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर
5.हे0 कां0 633 रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर
6.कां0 500 अमित कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर